




Chaudhary Charan Singh University, Meerut

PROVISIONAL ADMIT CARD (December-2016)

Name of the Candidate : SIKANDER SACHDEVA		Father's Name : OM PRAKASH	
Roll No. : RK605607153	Class : LL.B 3 Year-YEAR-1- SEM-1		
Enroll. No. : M16130456	Type : Post Graduate (PG) Regular		
Category : General (Unreserved)	Gender : MALE		
College Studying : [607] RELIABLE INSTITUTE OF LAW MORTA, DELHI-MEERUT ROAD, GHAZIABAD			
Examination Centre : [062] M.M. DEGREE COLLEGE, MODINAGAR, GHAZIABAD			
Subjects: Law	नारायण प्रसाद (Controller of Examinations)	Form # 93140	

Subject	Paper
Law	Paper-1 : K-1001 Jurisprudence - I (Legal Theory)
Law	Paper-2 : K-1002 Constitutional Law of India - I (Nature of the Constitution and Fundamental Rights)
Law	Paper-3 : K-1003 Law of Torts
Law	Paper-4 : K-1004 Law of Crimes - I (Indian Penal Code)
Law	Paper-5 : K-1005 Contract - I (General Principles of Contract)

Note: Students should bring this Admit Card for appearing in examination. Students failing to bring this Admit Card shall not be allowed to appear in the examination. This Admit Card is provisional. If 'FEE IS DUE', the candidate must pay the due fee to be eligible for appearing in examination. The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

परीक्षार्थी के लिये आवश्यक निर्देश

- उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत् लिखें -
अनुक्रमांक -

R	K	6	0	5	6	0	7	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- यदि परीक्षार्थी को फोटो अस्पष्ट / वृद्धयुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सर्वथा अनुपालन करना होगा।
- उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ के निर्धारित कालम पर वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
- परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंप बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेंगा।
- परीक्षा कक्ष में किंगो प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैलकुलेटर इत्यादि ले जाना वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को परीक्षार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे, परीक्षा बहिष्कार करने के कारण छूटी हुई परीक्षा को पुनः सपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।